न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 44/2021
GCMS NO. : 2021/90

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. केसाराम पुत्र छोगा
2. पूसा पुत्र छोगा
3. जयपराम पुंत्र छोगा
जाति- मेघवाल, निवासी- सिणला, तहसील- जैतारण जिला- पाली (राज.)

बनाम

1. बींजाराम पुत्र रूघा
2. मांगीलाल पुत्र रूघा
3. झुमरराम पुत्र रूघा
4. धोकल पुत्र रूघा फौत के का.मु.
   4.1 भगवानराम पुत्र धोकल
   4.2 दिनेश पुत्र धोकल
   4.3 मदनलाल पुत्र धोकल
   4.4 शांति बेवा धोकल जातियान- मेघवाल, निवासीगण- सिणला, तहसील जैतारण जिला पाली।
5. तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार जैतारण जिला पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी
तारीख रजू:-01.04.2021

उपस्थितः-
1. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 475 वक्त सेटलमेन्ट से गै.मु. मगरी के रूप में राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। परन्तु उक्त सम्पूर्ण खसरा गै.मु. मगरी नही होकर कुछ भू-भाग काबिल काश्त के है। जिस पर सायलान् के पिता छोगा व चुना व गैरसायलान् संख्या 1 से 4 के पिता रूघा व 4/1 से 4/4 के दादा व ससूर का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था नकल गिरदावरी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। सायलान् व गैरसायलान् एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमि मे सभी का सामलाती कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था जो निम्न वंशावली से स्पष्ट है- प्रस्तुत वंशावली अनुसार खसरा नम्बर 475 रकबा 5-05 बीघा भूमि पर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था, नकल गिरदावरी साथ पेश है। यह है कि वक्त सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

कर्मचारीयों द्वारा मौके पर बिना मौके की जांच किये बिना सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी मे इन्द्राज नहीं कर केवल गैरसायलान् के पिता रूघा का नाम उसके 1/3 हिस्से अर्थात 1.15 बीघा भूमि का नियमन/ आवंटन कर राजस्व रेकर्ड मे गैरखातेदार इन्द्राज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक सायलान एवं गैरसायलान् खसरा नम्बर 475 रकबा 5-05 बीघा भूमि के अपने अपने 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर सायलान् व गैरसायलान् के रहवासी मकान बने हुए है जिसमे मय परिवार के निवास करते हैं तथा इनके नाम का बिजली पानी के बिल के कनेक्शन रूघा के नाम से लिये हुए है नकल बिजली बिल व पानी बिल एवं रहवासी मकानात के फोटोग्राफर साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी मे सायलान् का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग है तथा अरसे दराज से सायलान् के रहवासी मकान बने हुए है तथा कृषि उपयोग हेतु खुला कुआ (ओपन वेल) भी खुदा हुआ है जिसका सायलान् व गैरसायलान् सामलाती एवं संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते हैं। सायलान् वक्त सेटलमेन्ट से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करते चले आ रहे है। कानूनन पिछले 70 वर्षो से कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग से सायलान् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में सायलान् का नाम इन्द्राज नहीं होने से घोषणा का वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। कानूनन जिन व्यक्तियो का वक्त सेटलमेन्ट व सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक पिछले 70 वर्षो से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग नियमित कृषि भूमि पर है वह व्यक्ति बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार माना जावेगा व केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा नाम इन्द्राज नही करने से उसे उनके साम्पैतिक हक अधिकारो से महरूम नही किया जा सकेगा। इस कारण सायलान् वादग्रस्त भूमि के पिछले 70 वर्षो से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो चुके है। इसलिए उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत् घोषणा का वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। सायलान् के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग बाबत् गिरदावरी साथ पेश है। सायलान् के पिता द्वारा व सायलान् द्वारा समय समय पर गैरसायलान् संख्या 5 के कार्यालय में व उनके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी आदि को अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये परन्तु गैरसायलान् संख्या 5 ने आज दिन तक सायलान् का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही किया व दिनांक [illegible]03/2021 को सायलान् ने गैरसायलान् संख्या 5 के कार्यालय [illegible] 5-05 बीघा मे से 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदा[illegible] कर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार के नाम इन्द्राज कर अमल द[illegible]द करने का निवेदन किया तब गैरसायलान् संख्या 5 स्पष्ट रुप से इन्कार हुए व सायलान् को बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

धमकी दी व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कथन किया। इस कारण से सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। सायलान् का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही होने से गैरसायलान् आये दिन सीमा को लेकर वाद विवाद करते है व सायलान् को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि गैरसायलान् को पूर्ण जानकारी है कि सायलान् 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में इनका नाम इन्द्राज नही है इनका फायद उठाते हुए गैरसायलान् सायलान् को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नही है। यदि गैरसायलान् अपने मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो सायलान् को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो पायेगी। इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर सायलान् के कब्जे एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से सायलान् को कब् काश्त से बेदखल कर देते है एवं सायलान् के हक हिस्से की भूमि मे दखलन्दाजी करते है एवं खूर्द बुर्द कर कच्चा पक्का निर्माण करते है तो अपूर्णिय क्षति सायलान् को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सभव नही होगी एवं सायलान् अपने जायज साम्पतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगे तथा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को सायलान् मौके पर विरोध करेगा तो लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा जिससे विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे सायलान् को अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा करने के लिये न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 475 वक्त सेटलमेन्ट मे गै.मु. मगरी के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी परन्तु उक्त आराजी का कुछ भाग जो काबिल काश्त होने से गैरसायलान् के पिता रूघाराम पुत्र गीगाराम को भूमिहीन होने से 1-15 बीघा जमीन आवंटन/नियमन [illegible] सम्पति मे सायलान् का कोई हक अधिकार नही है और नही उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी सम्पति है। नकल पासबुक नियमन/आवंटन की [illegible] के साथ पेश है जिसे जबाब प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। [illegible]र्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि सायलान् एवं गैरसायलान् एक ही परिवार के सदस्य नहीं है सायलान् द्वारा जो वंशावली अंकित की है उसमे भी कईयो के नाम छोड दिये और खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 475 मे सायलान् का कोई हक अधिकार नही है। केवल जबाब देहन्दा जिनके पिता को 1-15 बीघा जमीन आवंटन हुई थी उस पर जवाब देहन्दा काबिज है शेष भू भाग पर सायलान् का न तो हक अधिकार है न ही कब्जा काश्त है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् का कोई हक अधिकार नही है उक्त आराजी का रकबा बहुत बड़ा था जिसमे से जबाब देहन्दा के पिता उस समय भूमिहीन होने से जबाब देहन्दा के पिता को दिनांक 24/04/1976 को खसरा नम्बर 475 मे से 1-15 बीघा जमीन आवंटन/नियमन हुई थी और उस समय जबाब देहन्दा के पिता को गैरखातेदार के रूप मे उक्त आराजी आवंटन की थी और फिर लगातार जबाब देहन्दा के पिता का कब्जा काश्त होने से 10 वर्ष बाद उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये थे तब से लेकर आज दिन तक जबाब देहन्दा अपने हक हिस्से की भूमि मे काबिज है। सायलान् का इस सम्पति मे कोई हक अधिकार नही है सायलान् ने जो 1/3, 1/3 हिस्सा अंकित किया है वह पूर्णतया गलत है क्योकि वादग्रस्त सम्पति न तो पुश्तैनी है और न ही सायलान् का हक अधिकार है। सरकारी जमीन पर सायलान् को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति पर सायलान् का कोई सेटलमेन्ट से हक अधिकार नही है न ही मौके पर सायलान् का कोई कब्जा काश्त है और न ही वादग्रस्त सम्पति सायलान् एवं गैरसायलान् की सामलाती है उक्त सम्पति मे 1-15 बीघा जमीन पर एक मात्र मालिकाना जबाब देहन्दा का है। सायला का उक्त सम्पत्ति में कभी न तो नाम इन्द्राज रहा है न ही उनका कब्जा रहा है। इस पद में जो सायलान् ने तथ्य अंकित किये वह केवल मात्र बनावटी तथ्य है। इसलिए जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति पर सायलान का कोई कब्जा कारत नहीं है उक्त सम्पति एक मात्र जबाब देहन्दा के पिता को आवंटन हुई थी और उनका ही हक अधिकार है शेष जमीन सरकारी भूमि है जो सरकार के खाते में इन्द्राज है सायलान का कोई 70 वर्षो से कब्जा कारत नहीं है और सरकारी भूमि में सायलान् कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए इस पद में वर्णित तथ्य जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति जो कि जबाब देहन्दा के पिता को आंवटन हुई थी शेष आराजी की किस्म गै.मु. मगरी है और जो राजस्थान सरकार की जमीन है और जिसमे सायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही गैरसायलान् संख्या 5 उनको कोई हक अधिकार दे सकता है और सायलान् द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि 1/3 हिस्सा है वह पूर्णतया गलत अंकन किया है। वादग्रस्त सम्पति मे 1-15 बीघा जमीन जबाब देहन्दा के पिता को आवंटन हुई और उनके बाद उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और आज भी जबाब देहन्दा अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

पद संख्या 7 का जबाब है कि जब सायलान् का वादग्रस्त सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है तो सीमा विवाद करना उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी करना आदि तथ्य झुठे बेबुनियाद है वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् का न तो राजस्व रेकर्ड मे कभी नाम इन्द्राज रहा है न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त सम्पति पर 1976 से जबाब देहन्दा के पिता का आवंटन सुदा भूमि पर कब्जा था और उसके बाद मे वर्तमान समय मे जबाब देहन्दा का कब्जा काश्त है इसलिए सायलान् को उक्त सम्पति मे कानूनन कोई हक अधिकार नही है इसलिए सायलान् द्वारा इस पद मे वर्णित तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि समस्त तथ्यो परिस्थितियो दस्तावेजात मौके पर कब्जे काश्त आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से गैरसायलान् के पक्ष मे बखुबी साबित है सायलान् का न तो राजस्व रेकर्ड मे नाम है न ही मौके पर कब्जा है यदि सायलान् इस प्रार्थनापत्र की आड मे जबाब देहन्दा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मे कोई दखलन्दाजी करते है या बाधा अडचन पैदा करते है तो जबाब देहन्दा को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है, इसलिए सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिणला की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 475 वक्त सैटलमेंट गै.मु. मगरी के रूप में दर्ज है। लेकिन इसका कुछ भाग काबिल काश्त है जिस पर सायलान के पिता छोगा व चुना तथा गैरसायल संख्या 01 से 04 के पिता रुघा का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त है। लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा मौके की बिना जांच किए केवल अप्रार्थीगण के पिता रुघा का नाम 1-15 बीघा भूमि नियमन/आवंटन कर दिया, जो कि गलत है। मौके पर उभयपक्ष के रहवासी मकान भी बने हुए है। अतः प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रुघाराम पुत्र गिगाराम को भूमिहीन होने से आवंटन/नियमन हुई थी जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी नही होकर अप्रार्थीगण के पिता की सम्पति है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बीजाराम मांगीलाल झूमरलाल धोकलराम मदनलाल पि. रूघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 के अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 209 द्वारा रूघा पुत्र गीगा का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो से यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रूघाराम पुत्र गिगाराम को आवंटित/नियमित भूमि है। तथा ऐसी भूमियां संबंधित आवंटी की स्वअर्जित भूमि मानी जाती है जिसे पैतृक पुश्तैनी आराजी नही कहा जा सकता है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना नही माना जा सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रूघाराम पुत्र गिगाराम को आवंटन/नियमनशुदा है जो कि आवंटी की स्वार्जित सम्पति है, तथा ऐसी आराजी में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन होना या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने की दशा में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली